



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श10)

(सं० पटना 959) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2026

सं०सं० 15/औ०-14-17/2017/789(15A) स्वा०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 में वर्णित प्रावधान के आलोक में बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के अधीन मूल कोटि के पद पर पदस्थापित/कार्यरत निम्नांकित औषधि निरीक्षको को पूर्णतः अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत विहित वेतनमान सहित सहायक औषधि नियंत्रक (वेतन स्तर-11) के पद का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है—

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	अधिसूचना सं०-915(15), दिनांक-19.08.2025 द्वारा निर्गत वरीयता सूची के अनुसार वरीयता क्रमांक	कोटि
1	2	3	4
1	श्री राकेश कुमार	41	औषधि निरीक्षक
2	श्री राजीव कुमार रंजन	48	औषधि निरीक्षक
3	श्री संजीव कुमार	49	औषधि निरीक्षक
4	श्रीमती कृष्णा कुमारी	50	औषधि निरीक्षक
5	श्रीमती सीमा कुमारी	51	औषधि निरीक्षक
6	श्री शशि भूषण कुमार सिन्हा	52	औषधि निरीक्षक
7	मो० कयुमुद्दीन अंसारी	53	औषधि निरीक्षक
8	श्री सुरेन्द्र राम	54	औषधि निरीक्षक
9	श्रीमती किरण कुमारी	55	औषधि निरीक्षक
10	श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा	56	औषधि निरीक्षक
11	श्रीमती निशी लेतारे तोपनो	57	औषधि निरीक्षक

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्वधीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक औषधि नियंत्रक (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक औषधि नियंत्रक, के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 959-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>**